

छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर
आदेश पत्रिका

प्रकरण क्रमांक :

53

प्रकरण दर्ज दिनांक

आवेदक :

श्री हेमलाल खांडे

CGRERA-P.: 19-PRO - 2020 - 01010


आदेश कार्यवाही की
तारीख व स्थान

आदेश अथवा कार्यवाही

पक्षकार अथवा प्रतिनिधि
के हस्ताक्षर


04.05.2020


प्रकरण प्रस्तुत ।
कोरोना संक्रमण के रोकथाम हेतु लॉकडाउन घोषित होने के फलस्वरूप प्राधिकरण के आदेश/सूचना पत्र क्रमांक 514/रेरा/2020 रायपुर, दिनांक 21.03.2020 एवं संशोधित आदेश क्रमांक 522/रेरा/2020 रायपुर, दिनांक 25.04.2020 के अनुसार प्रकरण में तिथी बढ़ाई गई ।
मा0दि0- 21/05/2020

 अध्यक्ष

21/5/20

- 1) Case taken today then V.S.
- 2) Afflicant himself.
- 3) NA then LA then ~~surrender~~ surrend
- Benjoni.
- 4) Case has been amicably settled.
Afflicant has received cheque worth Rs 49,500/- dated 15/5/20. He does not want to press the case further.
- 5) Case be closed and sent to record room.

 सदस्य
भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण
छत्तीसगढ़ रायपुर

 सदस्य
भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण
छत्तीसगढ़ रायपुर

